

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/21/00064
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/21/00213
अपीलकर्ता : श्री कमलेश अग्रहरि
द्वारा - श्रीकृष्ण गुप्ता (एडवोकेट)
चै 0 नं 0 - 22, कलेक्ट्रेट कंपाउंड,
फतेहपुर (उ 0 प्र 0) - 212601

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.04.2021
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	20.04.2021
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	06.05.2021
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.सी.शर्मा (DR to IC(NG))
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	07.06.2021
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	28.06.2021
निर्णय की तारीख	19.07.2021

I. मांगी गई सूचना

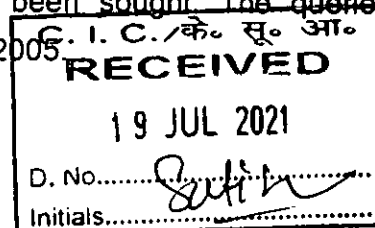
अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 05.04.2021 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

"अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. में फाइल सं. CIC/LICOI/A/2019/126813 के अनुपालन से सम्बंधित सूचना मांगी गई है।"

II. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.सी.शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 06.05.2021 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"Point - 1: On perusal of your above RTI application, it is seen that no information under RTI Act, 2005 has been sought. The queries raised does not fall under section 2(f) of RTI Act, 2005."



However, it is observed that your grievance is about non - compliance of decision dated 08.02.2021 by the respondent in respect of appeal No. CIC/LICOI/A/2019/126813, for which you have sent a letter dated 09.03.2021 to the CIC. Accordingly, the concerned CPIO has been directed to comply the above orders and to send the requisite information to you directly. A copy of letter sent to the CPIO for complying the orders is enclosed please."

III प्रथम अपील का आधार

अपीलकर्ता, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है।

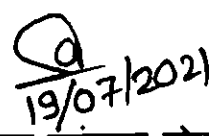
IV निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/21/00213 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC (NG)) द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ही है, इसलिये इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

V. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

VI. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 19.07.2021


(अजीतकुमार वसंतराव सोनटकरे)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

✓ 1). केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग,
नई दिल्ली।
19/07/21